प्रेस नोट

दिनांक 07.09.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.09.2024 को थाना जरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 230/2024 धारा 103(1)/109/333/352/351(2)/351(3) BNS व धारा 3/25 आयुध अधि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र आनन्द कुमार को आलाकत्ल 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2024 को मनीष कुमार पुत्र प्रमोद कुमार थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 18 वर्ष) द्वारा घायल अवस्था मे थाना आकर बताया गया था कि उसकी माँ श्रीमती गायत्री देवी जो बाथरूम मे गयी हुई थी और वह पढाई कर रहा था तभी अमित पुत्र आनन्द कुमार जो कि उसके मामा का बेटा है (रिश्ते में उसका भाई है) आया और घर के बटवारे को लेकर उसकी माँ को गोली मार दिया था जिससे उसकी माँ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उसे भी गोली मार दिया गया था। थाना पुलिस के द्वारा मनीष कुमार उपरोक्त के चोटों को दृष्टिगत, सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल सीएचसी सरीला भिजवाया गया एवं डॉक्टर के द्वारा बेहतर उपचार के लिए हैलेट मेडिकल कॉलेज कानपुर नगर भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अमित कुमार पुत्र आनन्द कुमार ग्राम व थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

अभियुक्त अमित कुमार पुत्र आनन्द कुमार का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-190/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस।

2. मु0अ0सं0 230/2024 धारा 103(1)/109/333/352/351(2)/351(3) BNS व धारा 3/25 आयुध अधि0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 भरत कुमार

2.उ0नि0 दिनेश प्रसाद

3.हे0का0 शिवेन्द्र सिंह

4.का0 सत्यपाल सिंह

5. का0 प्रिन्स कुमार